भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4388
27 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

पीएम-एफएमई के तहत सब्सिडी का आवंटन और संवितरण

4388. प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:
श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:
श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री संजय दिना पाटील:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पीएम-एफएमई) योजना के तहत महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों को आवंटित और संवितरित की गई राजसहायता की कुल राशि कितनी है;

(ख) पीएम-एफएमई योजना के तहत महाराष्ट्र सहित राज्यवार कुल कितनी राजसहायता राशि जारी की गई है;

(ग) प्रत्येक राज्य में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को कितनी राज-सहायता आवंटित की गई जिसका संवितरण किया गया है और अब तक कितने प्रतिशत निधि का उपयोग किया गया है;

(घ) सरकार किस प्रकार प्रत्येक राज्य में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों द्वारा राजसहायता के उपयोग की प्रभावशीलता की निगरानी और मूल्यांकन करती है;

(ड.) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों द्वारा उक्त राजसहायता के उपयोग के प्रभाव का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या पीएम-एफएमई योजना के तहत महाराष्ट्र को राजसहायता जारी करने में कोई विलंब हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2704.61 करोड़ रुपये का केंद्र हिस्सा जारी किया गया है, जिसमें से 28 फरवरी 2025 तक महाराष्ट्र राज्य को 401.04 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(ख) और (ग): महाराष्ट्र राज्य को 422.77 करोड़ रुपये सहित क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए केंद्र के हिस्से के रूप में 2085.37 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, जैसा कि **अनुबंध-**। में विवरण में दिया गया है। 28 फरवरी 2025 तक लगभग 94.82% धनराशि का उपयोग किया जा चुका है।

(घ): योजना के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता की निगरानी संबंधित ऋणदाता बैंकों और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के राज्य नोडल विभागों/एजेंसियों द्वारा की जाती है।

(ङ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा महाराष्ट्र में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों पर सब्सिडी के प्रभाव का आकलन अभी तक नहीं किया गया है ।

(च): पीएम-एफएमई योजना के तहत महाराष्ट्र या अन्य राज्यों को सब्सिडी का केंद्र हिस्सा जारी करने में कोई देरी नहीं हुई है । हालांकि, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की ओर से राज्य के खजाने से तदनुरूपी राज्य के हिस्से की राशि निकालने में कुछ देरी हो रही है, जिससे अंतिम लाभार्थियों को सब्सिडी जारी करने में देरी हो रही है।

*****

अनुबंध- I

दिनांक 27.03.2025 को उत्तर हेतु" पीएम-एफएमई के अंतर्गत सब्सिडी का आवंटन और से वितरण" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4388 के भाग (ख) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राज्यवार जारी सब्सिडी का ब्यौरा

क्र.सं.	**राज्य**	**कुल जारी सब्सिडी (करोड़ रुपये में)**
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	0.55
2	आंध्र प्रदेश	64.12
3	अरुणाचल प्रदेश	2.29
4	असम	20.47
5	बिहार	242.63
6	चंडीगढ़	0.21
7	छत्तीसगढ	21.86
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.14
9	दिल्ली	3.35
10	गोवा	2.20
11	गुजरात	29.93
12	हरियाणा	54.99
13	हिमाचल प्रदेश	32.27
14	जम्मू और कश्मीर	11.16
15	झारखंड	23.75
16	कर्नाटक	160.19
17	केरल	86.84
18	लद्दाख	2.56
19	लक्षद्वीप	-
20	मध्य प्रदेश	137.67
21	महाराष्ट्र	422.77
22	मणिपुर	5.82
23	मेघालय	1.05
24	मिजोरम	0.91
25	नागालैंड	4.66
26	ओडिशा	31.96
27	पुदुचेरी	2.52
28	पंजाब	150.44
29	राजस्थान	32.37
30	सिक्किम	0.47
31	तमिलनाडु	215.21
32	तेलंगाना	35.68
33	त्रिपुरा	2.48
34	उत्तर प्रदेश	263.24
35	उत्तराखंड	15.39
36	पश्चिम बंगाल	3.23
	कुल योग	2,085.38

*****